Repatriates from Abroad

6839. **Shri M. L. Sondhi:**
Shri T. P. Shah:
Shri Brij Bhushan Lal:

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the number of Indian nationals repatriated from abroad including Ceylon, Burma, Africa, etc.;

(b) the number of those who have been resettled with assistance from Government and the trades or professions taken up by them;

(c) whether any special scheme is under consideration of Government for the speedy resettlement of the Indian repatriates likely to return to India in the next two years or so; and

(d) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a) Ceylon: Regular repatriation under the Indo-Ceylon Agreement 1964 has not yet commenced. 10288 Indians have been granted Indian citizenship by the High Commission in Ceylon and 2538 out of these have already come to India upto 31-3-1967.

Burma: About 1,55,530 persons of Indian origin have come to India upto 15-7-1967.

East African countries including Mozambique: 7400 persons (approximately)

Aden: 683 persons

(b) A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1215/67].

(c) Yes, Sir.

(d) A statement showing the steps taken and the proposals under consideration for the rehabilitation of Indian nationals to be repatriated under Indo-Ceylon Agreement, 1964 is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1215/67].

सेवा निवृत्ति की आयु से पहले सेवानिवृत्त किये जाने के मामले में सरकारी कर्मचारियों में असन्तोष

6840. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महंगाई भत्ते तथा 25 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने पर अथवा 50 वर्ष की आयु हो जाने पर सेवानिवृत्त किये जाने के बारे में सरकारी कर्मचारियों में व्याप्त अत्यधिक असन्तोष की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) क्या संयुक्त विचार-विमर्श समिति ने इन प्रश्नों पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) उन प्रश्नों के बारे में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिये जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) बहुत से कर्मचारी-संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) से (घ). जैसा कि तारांकित प्रश्न संख्या 1244 के उत्तर में 19 जुलाई, 1967 को पहले ही बताया जा चुका है ये मामले राष्ट्रीय परिषद् की 29 और 30 मई 1967 की बैठक में कर्मचारी पक्ष द्वारा उठाये गये थे और मतभेद के प्रश्न और उनके लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदम भी उक्त उत्तर में बता दिये गये हैं । परिषद् द्वारा इन मामलों पर कोई सिफ़ारिशें नहीं की गई थीं ।